



उत्तर प्रदेश पुलिस

सब - इंस्पेक्टर (SI)

Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board

भाग - 4

मूलविधि



क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
मूल विधि		
1.	भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता	1
2.	महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों/नियमों की जानकारी	28
3.	महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान व नियम	42
4.	यातायात नियम, सडक संकेत एवं मोटर वाहन अधिनियम	57
5.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	67
6.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	69
7.	वन्य जीव अधिनियम, 1972	69
8.	आयकर अधिनियम, 1961	71
9.	भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988	78
10.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993	80
11.	सूचना का अधिकार अधिनियम	83
12.	साइबर अपराध	86
13.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005	87
14.	जनहित याचिका	90
15.	महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	92
16.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980	99
17.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	100
18.	भूमि - सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व सम्बन्धी कानून	103
19.	पुलिस एवं प्रशासन	126
20.	भारत और उसके पड़ोसी देश	136

मूल विधि

मूल-विधि

1. भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता

‘प्रमुख धारणें एवं उनकी व्याख्या’

IPC यानी इंडियन पेनल कोड जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताज इशत हिन्द कहते हैं-ए-IPC में कुल मिलाकर 511 धाराएं (Sections) और 23 Chapters हैं। यानी 23 अध्यायों में बंटा है। 1834 में पहला विधि आयोग (First Law of Commission) बनाया गया था। इसके चेयरमैन पर्सन लॉर्ड मैकाले थे आपको जानकारी है रानी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह (IPC) से बड़ा देश में और कोई भी दंडिक कानून नहीं है।

क्या है CrPC

CrPC की इंग्लिश में ‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर’ और हिंदी में ‘दण्ड प्रक्रिया संहिता’ कहते हैं। इसका कानून 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था

जब भी कोई अपराध होता है उसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है पहली पुलिस किसी एक प्रक्रिया पीडित के संबंध में और दूसरी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है आरोपी के संबंध में होती है।

क्या है IPC और CrPC में क्या अंतर

इस कानून को दो हिस्से में बांटा गया है-

1. मौलिक विधि (Substantive Law)
2. प्रक्रिया विधि (Procedural Law)

आपको बता दें, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर दो भागों में बांटा जाता है -

सिविल कानून (Civil Law) और दण्डिक कानून (Criminal Law) जिसमें सिविल कानून (Civil Law) को IPC और दण्डिक कानून (Criminal Law) को CrPC कहते हैं।

उर्दू में सिविल कानून को दीवानी विधि और दण्डिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। IPC मौलिक विधि (Substantive Law) है और CrPC प्रक्रिया विधि (Procedural Law) है।

IPC और CrPC कानून-

IPC - ये अपराध की परिभाषा करती है और दण्ड के प्रावधान की जानकारी देती है।

CrPC - अपराधिक मामले के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। इसका उद्देश्य अपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना है।

क्या है उद्देश्य -

IPC- इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में एक तरह का पीनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग-अलग इलाकों के साथ ये अलग-अलग कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके- IPS और CrPC कानून खराब व्यवहार की इजाजत नहीं देता गलत व्यवहार करने पर अपराधी को इसका नुकसान पड़ता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 -

- जेम्स स्टीफन के अनुसार, “अपराध एक ऐसा कृत्य है, जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, दोनों ही होता है।”
- केनी ने अपनी पुस्तक ‘आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ,’ में अपराध को परिभाषित करते हुये लिखा है कि “अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है, तो केवल शपथ द्वारा”।
- अपराध के निम्नलिखित चार आवश्यक तत्व हैं -
 - (1) मानव,
 - (2) अपराधिक मन:स्थिति या दुराशय
 - (3) अपराधिक कृत्य, तथा
 - (4) ऐसे अपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति।
- भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार बारह समुद्री मील तक फैला हुआ है।
- भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया।

भारतीय दंड संहिता, 1860 -

धारा	विषय
1	संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार।
2	भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड
3	भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड
4	राज्य क्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार
5	कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना
6	संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्वधीन समझा जाना
7	एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव
8	लिंग
9	वचन
10	'पुरुष' 'स्त्री'
11	व्यक्ति
12	लोक
13	कवीन
14	सरकार का सेवक
धारा	विषय
15	ब्रिटिश इंडिया
16	भारत सरकार
17	सरकार
18	भारत
19	न्यायाधीश
20	न्यायालय
21	लेकसेवक

22	जंगम संपत्ति
23	सदोष अभिलाभ
24	बेईमानी से
25	कपटपूर्वक
26	विश्वास करने का कारण
27	पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति
28	कूटकरण
29	दस्तावेज
29(क)	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख
30	मूल्यवान प्रतिभूति
31	विल
32	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप जाता है।
33	कार्य, लोप
34	सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य
35	जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है।
36	अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम
37	किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना
38	आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे
39	स्वेच्छया
40	अपराध
41	विशेष विधि
42	स्थानीय विधि
43	"अवैध", करने के लिए वैध रूप से आबद्ध

44	क्षाति
45	जीवन
46	मृत्यु
47	जीवजन्तु
48	जलयान
49	वर्ष मास
50	धारा
51	शपथ
52	सदभावपूर्वक
52 (क)	संश्रय
53	दण्ड
53 (क)	निर्वाशन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना
54	मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण
55	आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण
55 (क)	समुचित सरकार की परिभाषा
56	[निरस्त....]
57	दंडविधियों की भिन्ने
धारा	विषय
58	(***लुप्त)
59	(***लुप्त)
60	दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
61	[निरस्त....]
62	[निरस्त....]
63	जुमनि की रकम

64	जुमनि न देने पर कारावास का दण्डादेश
65	जबकि कारावास और जुमनि दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुमनि न देने पर कारावास की अवधि
66	जुमनि न देने पर किस भाति का कारावास दिया जाय।
67	जुमनि न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुमनि से दण्डनीय हो
68	जुमनि देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना
69	जुमनि के आनुपातिक भाग के दिये जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान
70	जुमनि का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना-सम्पति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती
71	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि
72	कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि वह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है।
73	एकान्त परिरोध
74	एकान्त परिरोध की अवधि
75	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड
76	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
77	न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य
78	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य
79	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
80	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना
81	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिये किया गया है
82	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य

83	सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य
84	विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य
85	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।
86	किरी व्यक्ति द्वारा, जो मत्ता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।
87	सम्पत्ति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो
88	किरी व्यक्ति के फायदे के लिये सम्पत्ति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है
89	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्पत्ति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भाव - पूर्वक किया गया कार्य
90	सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।
91	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है
92	सम्पत्ति के बिना किरी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य
93	सद्भावपूर्वक दी गई संशुचना
94	वह कार्य जिसको करने के लिये कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
95	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य
धारा	विषय
96	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें
97	शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
98	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो
99	कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

100	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने पर कब होता है
101	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है।
102	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
103	कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने तक का होता है
104	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।
105	सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
106	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है
107	किरी बात का दुष्प्रेरण
108	दुष्प्रेरक
108क	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण
109	दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उस दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध नहीं है
110	दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।
111	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।
112	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है।
113	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो
114	अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति
115	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता
116	कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए

117	लोक शाधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण
118	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
119	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक-सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।
120	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
120क.	आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा
120ख.	आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड
121	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।
121क.	धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र
122	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना
123	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना
124	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसके प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना
124क .	राजद्रोह
125	भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना
126	भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूट-पाट करना
127	धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूट-पाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना
128	लोक-सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना
129	उपेक्षा से लोक-सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना
130	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना
131	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना

132	विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए
133	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण
134	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए
135	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण
136	अभित्यायक को संश्रय देना
137	मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्यायक
138	सैनिक, नौसैनिक या वायु-सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण
138	निरक्षित
139	कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
140	सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
141	विधिविरुद्ध जमाव
142	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना
143	दण्ड
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में शामिल होना
145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, शामिल होना या उसमें बने रहना
146	बल्वा करना
147	बल्वा करने के लिए दण्ड
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना
149	विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी
150	विधिविरुद्ध जमाव में शामिल करने के लिये व्यक्तियों का भाडे पर लेना या भाडे पर लेने के प्रति मौनानुकूलता
151	पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के समादेश दिए जाने के

	पश्चात् 32में जान कर हुए सम्मिलित होना या बने रहना
152	लोक-सेवक जब बल्वा इत्यादि को दबा रहा हो तब 32 पर हमला करना या उसे बाधित करना
153	बल्वा करने के आशय से श्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाये-यदि बल्वा न किया जाये
153क.	धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना
153कक.	किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक डिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या 32में भाग लेने के लिये दण्ड
153ख	राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान
154	32 भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है,
155	32 व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है।
156	32 स्वामी या अधिभोगी के अधिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है।
157	विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाडे पर लाए गए व्यक्तियों को संभ्रय देना
158	विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाडे पर जाना
159	दंगा
160	दंगा करने के लिए दण्ड
161-165क	अष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 संख्या 49 द्वारा निरक्षित किया गया
धारा	विषय
166	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है।
166 (क)	लोक-सेवक जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता
166 (ख)	पीडित का उपचार न करने के लिए दंड
167	लोक सेवक, जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है

168	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है
169	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है
170	लोक-सेवक का प्रतिरूपण
171	कपटपूर्ण आशय से लोक-सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
171 (क)	'अभ्यर्थी' निर्वाचन अधिकार परिभाषित
171 (ख)	रिश्त
171 (ग)	निर्वाचनों में अशम्यक् अंतर डालना
171 (घ)	निर्वाचनों में प्रतिरूपण
171 (ङ)	रिश्त के लिये दण्ड
171 (च)	निर्वाचन में अशम्यक् अंतर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्ड
171 (ज)	निर्वाचन के शिलशिले में अवैध संदाय
171 (झ)	निर्वाचन-लेखा रखने में अशफलता
172	रामों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
173	रामन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
174	लोक-सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहना
174 (क)	1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी
175	दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक-सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप
176	सूचना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक-सेवक को सूचना या इतिला देने का लोप
177	मिथ्या इतिला देना
178	शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक-सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए शम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए
179	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक का उत्तर देने से इंकार करना

180	कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार
181	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन
182	इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक-सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के लिए करे
183	लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध
184	लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी संपत्ति के विक्रय में उपस्थित करना
185	लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का श्रवण क्रय या उसके लिए श्रवण बोली लगाना
186	लोक-सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना
187	लोक-सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा श्रावण हो
188	लोक-सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रस्थापित आदेश की श्रवण
189	लोक-सेवक को क्षति करने की धमकी
190	लोक-सेवक से संरक्षा के लिए श्रावण करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी
191	मिथ्या साक्ष्य देना
192	मिथ्या साक्ष्य गठना
193	मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड
धारा	विषय
194	मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गठना
195	आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गठना
195क	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना
196	उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है

197	मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना
198	प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है शब्दों के रूप में काम में लाना
199	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन
200	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए शब्दों के रूप में काम में लाना
201	अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतिला देना
202	इतिला देने के लिए श्रावण व्यक्ति द्वारा अपराध की इतिला देने का साशय लोप
203	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना
204	साक्ष्य के रूप में किसी [दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसे नष्ट करना
205	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
206	संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
207	संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा
208	ऐसी शर्त के लिए जो शोध न हो कपटपूर्वक डिक्ली होने देना सहन करना
209	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
210	ऐसी शर्त के लिए जो शोध नहीं है, कपटपूर्वक डिक्ली की अभिप्राप्त करना
211	क्षति कारित करने के आशय से अपराध या मिथ्या आरोप
212	अपराधी को संभ्रय देना
213	अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
214	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन
215	चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना

216	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है
216 (क)	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शक्ति
216(ख)	(.....निरक्षित)
217	लोक-सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को सम्पहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा
218	किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को सम्पहरण से बचाने के आशय से लोक-सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना
219	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक-सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए शुपुर्दगी
221	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोप
222	दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक शुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोप
223	लोक-सेवक द्वारा अपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना
224	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225 (क)	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना
225 (ख)	अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना
धारा	विषय
226	(...निरक्षित)
227	दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण

228	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का आशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
228 (क)	कतिपय अपराधों आदि से पीडित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
229	जूरी सदस्य या अदालत का प्रतिरूपण
229 (क)	जमानत या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में अक्षमता
230	शिवका की परिभाषा
231	शिवके की कूटकरण
232	भारतीय शिवके का कूटकरण
233	शिवके के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
234	भारतीय शिवके के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
235	शिवके के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
236	भारत से बाहर शिवके के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण
237	कूटकृत शिवके का आयात या निर्यात
238	भारतीय शिवके की कूटकृतियों का आयात या निर्यात
239	शिवके का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
240	उस भारतीय शिवके का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
241	किसी शिवके का असली शिवके के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था
242	कूटकृत शिवके पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था, जब वह उसके कब्जे में आया था
243	भारतीय शिवके पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
244	टकशाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा शिवके का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न

	कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है
245	टकशाल से शिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना
246	कपटपूर्वक या बेईमानी से शिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
247	कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय शिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
248	इस आशय से किसी शिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के शिक्के के रूप में चल जाए
249	इस आशय से भारतीय शिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के शिक्के के रूप में चल जाए
250	ऐसे शिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है।
251	भारतीय शिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है
252	ऐसे व्यक्ति द्वारा शिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था वह उसके कब्जे में आया
253	ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय शिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था वह उसके कब्जे में आया
254	शिक्के का असली शिक्के के रूप में परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण
256	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना
257	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना
258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय
259	सरकारी कूटकृत स्टाम्प कब्जे में रखना
260	किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए जो असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना

धारा	विषय
261	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
262	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है
263	स्टाम्प के उपयोग किये जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना
263 (क)	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
264	तेलने के लिए छोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग
265	छोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग
266	छोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
267	छोटे बाट या माप को बनाना या बेचना
268	लोक न्यूसैट
269	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो
270	परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो
271	करन्तीन के नियम की श्रवज्ञा
272	विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
273	अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
274	श्रौणधियों का अपमिश्रण
275	अपमिश्रित श्रौणधियों का विक्रय
276	श्रौणधि का भिन्न श्रौणधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
277	लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
278	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाना
279	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना

280	जलयान का उतावलेपन से चलाना
281	भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन
282	अक्षेमकर या अति-लदे हुये जलयान में भाडे के लिये जलमार्ग में किसी व्यक्ति का प्रवहण
283	लोकमार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
284	विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
285	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण
287	मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
288	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
289	जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
290	अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूरोन्ट के लिये दण्ड
291	न्यूरोन्ट बंद करने के आदेश के पश्चात् उसका चालू रखना
292	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि
293	तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि
294	अश्लील कार्य और गाने
294 (क)	लाटरी कार्यालय रखना
295	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति कारित करना या अपवित्र करना
295 (क)	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हो
296	धार्मिक जमाव में विघ्न करना
297	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि

धारा	विषय
299	आपराधिक मानव वध
300	हत्या
301	जिसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध
302	हत्या के लिये दण्ड
303	आजीवन शिद्धान्तेषु द्वारा हत्या के लिये दण्ड
304	हत्या की कोटि में न जाने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड
304 (क)	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
304 (ख)	दहेज मृत्यु
305	शिशु या अमृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरणा
306	आत्महत्या का दुष्प्रेरणा
307	हत्या करने का प्रयत्न
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न
310	ठग
311	दण्ड
312	गर्भपात कारित करना
313	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना
314	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु
315	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य
316	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी शरीर अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना
317	शिशु के पिता या माता या उसकी देख-रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग

318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना
319	उपहति
320	घोर उपहति
321	स्वेच्छया उपहति कारित करना
322	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिये दण्ड
326	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326 (क)	श्रमल आदि का प्रयोग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326 (ख)	स्वेच्छया श्रमल फेंकना या फेंकने का प्रयोग करना
327	सम्पत्ति उद्घापित करने के लिए या श्रवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
328	श्रपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना
329	सम्पत्ति उद्घापित करने के लिए या श्रवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
330	संस्वीकृति उद्घापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना
331	संस्वीकृति उद्घापित करने के लिये या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
332	लोक-सैवक को श्रपने कर्तव्य से भयोपसृत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना
333	लोक-सैवक को श्रपने कर्तव्यों से भयोपसृत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
334	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना
335	प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो

धारा	विषय
337	ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन का या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
339	सदोष श्रवरोध
340	सदोष परिरोध
341	सदोष श्रवरोध के लिए दंड
342	सदोष परिरोध के लिए दंड
343	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
344	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
345	ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध, जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है
346	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध
347	संपत्ति उद्घापित करने के लिए या श्रवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध
348	संस्वीकृति उद्घापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध
349	बल
350	आपराधिक बल
351	हमला
352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड
353	लोक-सैवक को श्रपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपसृत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354 (क)	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड
354 (ख)	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354 (ग)	दृश्यरतिकता
354 (घ)	पीछा करना
355	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
356	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
357	किसी व्यक्ति का शत्रुता परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
358	गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
359	व्यपहरण
360	भारत में से व्यपहरण
361	विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण
362	अपहरण
363	व्यपहरण के लिए दंड
363(क)	भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण
364 (क)	मुक्ति-धन आदि के लिए व्यपहरण
365	किसी व्यक्ति का गुप्त शक्ति से शत्रुता शत्रुता परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण
366	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
366 (क)	अप्राप्तवय लडकी का उपापन
366 (ख)	विदेश से लडकी का आयात करना
367	व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण
368	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को शत्रुता छिपाना या परिरोध में रखना

धारा	विषय
369	दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
370	दास से रूप में किसी व्यक्ति का खरीदना या व्ययन करना
370 (क)	ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुव्यापार किया गया है, शोषण
371	दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना
372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना
373	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना
374	विधिविरुद्ध क्रिमिचार्य भ्रम
375	बलात्कृत
376	बलात्कृत के लिए दण्ड
376क.	पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग
376ख	लोक-सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग
376ग	जेल, प्रतिरोधगृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग
376घ	अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीवृंद आदि के किसी शत्रुता द्वारा या उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग
376ड	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड
377	प्रकृति - विरुद्ध अपराध
378	चोरी
379	चोरी के लिए दंड
380	निवास-गृह आदि में चोरी
381	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी
382	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी
383	उद्दापन
384	उद्दापन के लिए दंड

385	उद्घापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना
386	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्घापन
387	उद्घापन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना
388	मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्घापन
389	उद्घापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना
390	लूट
391	डकैती
392	लूट के लिए दंड
393	लूट करने का प्रयत्न
394	लूट करने में श्वेच्छया उपहति कारित करना
395	डकैती के लिए दंड
396	हत्या सहित डकैती
397	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
398	घातक श्वायुध से शज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
399	डकैती करने के लिए तैयारी करना
400	डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड
401	चोरों की टोली का होने के लिए दंड
402	डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना
403	संपत्ति का बेईमानी से दुविनियोग
404	ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुविनियोग जो मृत के समय उसके कब्जे में थी
405	आपराधिक न्यासभंग
406	आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड

धारा	विषय
407	वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग
408	लिपिक या लेखक द्वारा आपराधिक न्यासभंग
409	लोक-लेखक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग
410	चुराई हुई संपत्ति
411	चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
412	ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है।
413	चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासत व्यापार करना
414	चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना
415	छल
416	प्रतिरूपण द्वारा छल
417	छल के लिए दंड
418	इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को श्दोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है
419	प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड
420	छल करना और संपत्ति परिद्ध करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना
421	लेनदारी में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपशासन या छिपाना
422	ऋण को लेनदारों के लए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
423	अंतरण ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
424	संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपशासन या छिपाया जाना
425	शिष्टि
426	शिष्टि के लिए दंड
427	शिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है

428	दश रूपये के मूल्य के जीव-जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
429	किसी मूल्य के दोर आदि की या पचास रूपये के मूल्य के किसी जीव-जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
430	शिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोडने द्वारा रिष्टि
431	लोक सडक, पुल, नदी या जल-शास्त्री को क्षति पहुँचाकर रिष्टि
432	लोक जल-निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
433	किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करने, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि
435	सौ रूपये का या (कृषि उपज की दशा में) दश रूपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
436	गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
437	तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापद बनाने के आशय से रिष्टि
438	धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गयी रिष्टि के लिए दंड
439	चोरी आदि करने के आशय से जलयान को आशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड
440	मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गयी रिष्टि
441	आपराधिक अतिचार
442	गृह-अतिचार
443	प्रच्छन्न गृह अतिचार
444	रात्रौ प्रच्छन्न गृह- अतिचार
445	गृह-भेदन
446	रात्रौ गृह भेदन

447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड
448	गृह-अतिचार के लिए दंड
धारा	विषय
449	मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
450	आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह - अतिचार
451	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
452	उपहति, हमला या सक्षेप अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार
453	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड
454	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
455	उपहति, हमले या सक्षेप अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
456	रात्रौ प्रच्छन्न, गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिए दंड
457	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन
458	उपहति, हमला या सक्षेप अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह भेदन
459	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
460	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो
461	ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोडकर खोलना
462	उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है
463	कूटस्थना
464	मिथ्या दस्तावेज रचना
465	कूटस्थना के लिए दंड
466	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटस्थना

467	मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूटस्थना
468	छल के प्रयोजन से कूटस्थना
469	ख्याति को अपहानि पहुँचाने से आशय से कूट स्थना
470	कूटस्थित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख
471	कूटस्थित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का अशली के रूप में उपयोग में लाना
472	धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटस्थना के आशय के कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
473	अन्यथा दंडनीय कूटस्थना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
474	धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटस्थित जानते हुए और उसे अशली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना
475	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षण या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
476	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षण या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
477	विल, दत्तक ग्रहण प्राधिकारपत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना
477 (क)	लेखा का मिथ्याकरण
478	(.....) निरक्षित
479	संपत्ति चिन्ह
480	मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना
481	मिथ्या संपत्ति-चिन्ह को उपयोग में लाना
482	मिथ्या संपत्ति-चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण

484	लोक-सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण
485	संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उसे पर कब्जा
धारा	विषय
486	कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय
487	किरी ऐसी पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है
488	किरी ऐसी मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड
489	क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाडना
489 (क)	करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
489 (ख)	कूटस्थित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को अशली के रूप में उपयोग में लाना
489 (ग)	कूटस्थित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
489 (घ)	करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटस्थना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
489 (ङ.)	करेंसी नोटों या बैंक नोटों से शादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की स्थना या उपयोग
490	(....) निरक्षित
491	अज्ञात व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग
492	(....) निरक्षित
493	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास
494	पति या पत्नी के जीवन काल में पुन विवाह करना
495	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है।
496	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाहकर्म पूरा कर लेना
497	जारकर्म
498	विवाहिता स्त्री को अपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना